न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 62/2015

1 खीवणी उम्र 65 साल पत्नी
2 प्रभुसिंह उम्र 45 साल पुत्र
3 कमल सिंह उम्र 40 साल
4 साहिबराम उम्र 38 साल पिसरान नौरंगराम जाति जाट निवासी बीबासर तहसील व जिला झुन्झुनूं।

अपीलांट्स

बनाम

1 शिवराम उर्फ श्योराम पुत्र दयालाराम
2 उम्मेद पत्नी माणकचन्द
3 निलेश पुत्र माणकचन्द
4 रूघाराम पुत्र दयालाराम जाति जाट निवासी बीबासर तहसील व जिला झुन्झुनूं। दौराने अपील मृतक
4/1 प्रकाश पुत्र रूघाराम जाति जाट निवासी बीबासर तहसील व जिला झुन्झुनूं।
4/2 मनभरी पत्नी रूघाराम जाति जाट निवासी बीबासर तहसील व जिला झुन्झुनूं।
4/3 सजना पुत्री रूघराम पत्नी नरेश कुमार जाति जाट निवासी बीबासर हाल निवासी सोलाना तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं।
4/4 सरोज पुत्री रूघाराम पत्नी महेश कुमार जाति जाट निवासी बीबासर हाल निवासी सोलाना तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं।
5 भगवानाराम पुत्र धुकलराम जाति जाट निवासी बीबासर तहसील व जिला झुन्झुनूं। दौराने अपील मृतक
5/1 चुन्नीलाल पुत्र भगवानाराम जाति जाट निवासी बीबासर तहसील व जिला झुन्झुनूं।
5/2 बंशीलाल पुत्र भगवानाराम जाति जाट निवासी बीबासर तहसील व जिला झुन्झुनूं।

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

5/3 मनभरी पुत्री भगवानाराम पत्नी रामनिवास जाति जाट निवासी बीबासर हाल निवासी जयसिंह पुरा वाया नूंआ पोस्ट ऑफिस हेतमसर तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनूं।
5/4 महाकोरी पुत्री भगवानाराम पत्नी प्यारेलाल जाति जाट निवासी बीबासर हाल निवासी जयसिंहपुरा वाया नूंआ पोस्ट ऑफिस हेतमसर तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनूं।
5/5 विनोद पुत्री भगवानाराम पत्नी पूर्णमल एचरा जाति जाट निवासी बीबासर हाल निवासी चंदाव पोस्ट खीदरसर तहसील बिसाऊ जिला झुन्झुनू।
5/6 सुभिता पुत्री भगवानाराम पत्नी नत्थूराम एचरा जाति जाट निवासी बीबासर हाल निवासी चंदाव पोस्ट खीदरसर तहसील बिसाऊ जिला झुन्झुनूं।
5/7 मृतक बजरंगलाल पुत्र भगवानाराम जाति जाट निवासी बीबासर तहसील व जिला झुन्झुनूं।
5/7/1 तीजा पत्नी बजरंगलाल जाति जाट निवासी बीबासर तहसील व जिला झुन्झुनूं।
5/7/2 नरेश पुत्र बजरंगलाल जाति जाट निवासी बीबासर तहसील व जिला झुन्झुनूं।
5/7/3 संदीप पुत्र बजरंगलाल जाति जाट निवासी बीबासर तहसील व जिला झुन्झुनूं।
5/7/4 सुनीता पुत्री बजरंगलाल पत्नी संदीप कुमार जाति जाट निवासी बीबासर हाल निवासी कुल्हरियों की ढाणी जिला झुन्झुनूं।
6 श्रवण पुत्र धुकलराम जाति जाट निवासी बीबासर तहसील व जिला झुन्झुनूं। दौराने अपील मृतक
6/1 महेन्द्र सिंह पुत्र श्रवण जाति जाट निवासी बीबासर तहसील व जिला झुन्झुनूं।
6/2 रामजीलाल पुत्र श्रवण जाति जाट निवासी बीबासर तहसील व जिला झुन्झुनूं।
6/3 हरप्यारी देवी पत्नी श्रवण जाति जाट निवासी बीबासर तहसील व जिला झुन्झुनूं।
6/4 सुशिला पुत्री श्रवण पत्नी रामचन्द्र जाति जाट निवासी बीबासर हाल निवासी दादिया पोस्ट दादिया तहसील व जिला सीकर।

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

7 गोपीराम पुत्र नोरंगराम जाति जाट निवासी बीबासर तहसील व जिला झुन्झुनूं।
8 राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील व जिला झुन्झुनूं।

रेस्पोडेन्टस

अपील बखिलाफ आदेश व प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 26.10.2005 व 19.12.2005 बउनवानी मुकदमा शिवराम बनाम माणकचंद वगै. मु.नं. 114/2002 दावा बाबत घोषणार्थ व बंटवारा

अपील संख्या 63/2015

1 खीवणी उम्र 65 साल पत्नी
2 प्रभुसिंह उम्र 45 साल पुत्र
3 कमल सिंह उम्र 40 साल
4 साहिबराम उम्र 38 साल पिसरान नौरंगराम जाति जाट निवासी बीबासर तहसील व जिला झुन्झुनूं।

अपीलांट्स

बनाम

1 शिवराम उर्फ श्योराम पुत्र दयालाराम
2 उम्मेद पत्नी माणकचन्द
3 निलेश पुत्र माणकचन्द
4 रूघाराम पुत्र दयालाराम जाति जाट निवासी बीबासर तहसील व जिला झुन्झुनूं। दौराने अपील मृतक
4/1 प्रकाश पुत्र रूघाराम जाति जाट निवासी बीबासर तहसील व जिला झुन्झुनूं।

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

4/2 मनभरी पत्नी रूघाराम जाति जाट निवासी बीबासर तहसील व जिला झुन्झुनूं।
4/3 सजना पुत्री रूघराम पत्नी नरेश कुमार जाति जाट निवासी बीबासर हाल निवासी सोलाना तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं।
4/4 सरोज पुत्री रूघाराम पत्नी महेश कुमार जाति जाट निवासी बीबासर हाल निवासी सोलाना तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं।
5 भगवानाराम पुत्र धुकलराम जाति जाट निवासी बीबासर तहसील व जिला झुन्झुनूं। दौराने अपील मृतक
5/1 चुन्नीलाल पुत्र भगवानाराम जाति जाट निवासी बीबासर तहसील व जिला झुन्झुनूं।
5/2 बंशीलाल पुत्र भगवानाराम जाति जाट निवासी बीबासर तहसील व जिला झुन्झुनूं।
5/3 मनभरी पुत्री भगवानाराम पत्नी रामनिवास जाति जाट निवासी बीबासर हाल निवासी जयसिंह पुरा वाया नूंआ पोस्ट ऑफिस हेतमसर तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनूं।
5/4 महाकोरी पुत्री भगवानाराम पत्नी प्यारेलाल जाति जाट निवासी बीबासर हाल निवासी जयसिंहपुरा वाया नूंआ पोस्ट ऑफिस हेतमसर तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनूं।
5/5 विनोद पुत्री भगवानाराम पत्नी पूर्णमल एचरा जाति जाट निवासी बीबासर हाल निवासी चंदाव पोस्ट खीदरसर तहसील बिसाऊ जिला झुन्झुनू।
5/6 सुमिता पुत्री भगवानाराम पत्नी नत्थूराम एचरा जाति जाट निवासी बीबासर हाल निवासी चंदाव पोस्ट खीदरसर तहसील बिसाऊ जिला झुन्झुनूं।
5/7 मृतक बजरंगलाल पुत्र भगवानाराम जाति जाट निवासी बीबासर तहसील व जिला झुन्झुनूं।
5/7/1 तीजा पत्नी बजरंगलाल जाति जाट निवासी बीबासर तहसील व जिला झुन्झुनूं।
5/7/2 नरेश पुत्र बजरंगलाल जाति जाट निवासी बीबासर तहसील व जिला झुन्झुनूं।
5/7/3 संदीप पुत्र बजरंगलाल जाति जाट निवासी बीबासर तहसील व जिला झुन्झुनूं।

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

5/7/4 सुनीता पुत्री बजरंगलाल पत्नी संदीप कुमार जाति जाट निवासी बीबासर हाल निवासी कुल्हरियों की ढाणी जिला झुन्झुनूं।
6 श्रवण पुत्र धुकलराम जाति जाट निवासी बीबासर तहसील व जिला झुन्झुनूं। दौराने अपील मृतक
6/1 महेन्द्र सिंह पुत्र श्रवण जाति जाट निवासी बीबासर तहसील व जिला झुन्झुनूं।
6/2 रामजीलाल पुत्र श्रवण जाति जाट निवासी बीबासर तहसील व जिला झुन्झुनूं।
6/3 हरप्यारी देवी पत्नी श्रवण जाति जाट निवासी बीबासर तहसील व जिला झुन्झुनूं।
6/4 सुशिला पुत्री श्रवण पत्नी रामचन्द्र जाति जाट निवासी बीबासर हाल निवासी दादिया पोस्ट दादिया तहसील व जिला सीकर।
7 गोपीराम पुत्र नोरंगराम जाति जाट निवासी बीबासर तहसील व जिला झुन्झुनूं।
8 राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील व जिला झुन्झुनूं।

रेस्पोडेन्टस

अपील खिलाफ आदेश एवं अंतिम डिक्री
दिनांक 29.04.2008 बउनवानी मुकदमा
शिवराम बनाम माणकचन्द वगै. मु.नं.
114/2002 दावा बाबत घोषणार्थ एवं
बंटवारा

उपस्थिति :

1. श्री नरेश कुमार ढाका, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री रणवीर सिंह , अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट
3. श्री मनोहरलाल सैनी, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी भू-प्रबन्ध • सीकर •

—निर्णय—

दिनांकः— 18/11/25

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं द्वारा मुकदमा नम्बर 114/2002 में पारित निर्णय दिनांक 26.10.2005, 19.12.2005 व 29.04.2008 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है। दोनों पत्रावलियों में पक्षकार व विवादित भूमि समान होने से इनका निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति पृथक—पृथक रखी जावें।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ने एक वाद घोषणार्थ व बंटवारा बाबत भूमि खसरा नंबर 105, 106, 140, 141, 193, 405, 406, 407, 414, 415 वाके ग्राम बीबासर का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्राथमिक व अंतिम डिक्री जारी कर दी। इससे व्यथित होकर यह अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने जमीन जैर बहस के सभी खातेदारान को फरीक नहीं बनाया। अपीलान्टस के पूर्वज नोरंगराम पुत्र धुकलराम थे उक्त नोरंगराम को नोरंगराम पुत्र दयालाराम बनाकर के निर्णय व डिक्री पारित करवाली इस प्रकार से सह खातेदार को सही वल्दीयत से फरीक नहीं बनाकर के दावा का निर्णय व डिक्री पारित करने में विचारण न्यायालय ने गलत कानूनी की है। विचारण न्यायालय मे रेस्पोडेन्ट सं. 6 श्रवण पुत्र धुकलराम को श्रवण पुत्र दयालाराम बनाकर के निर्णय व डिक्री पारित करने में विचारण न्यायालय ने गलती कानूनी की है। विचारण न्यायालय ने अंतिम डिक्री दिनांक 29.04.2008 को पारित की है जबकि डिक्री पारित करने से पहले ही अपीलान्टस के पूर्वज नोरंगराम को देहान्त हो गया था इस प्रकार से विचारण न्यायालय ने मृतक व्यक्ति के खिलाफ निर्णय व डिक्री पारित करने में गलती कानूनी की है। विचारण न्यायालय ने दावा व राजस्व रिकार्ड का अवलोकन ना कर सरसरी रूप से बिना कोई शहादत लिये व बिना कोई दस्तावेजात को प्रदर्शित करवाये निर्णय व डिक्री पारित करने में गलती कानूनी की है। प्रारम्भिक डिक्री पारित होने के बाद में विवादित भूमि के कुरेजात बनाते तक तहसीलदार व पटवारी हल्का ने अपीलान्ट को कोई नोटिस नहीं दिया व राजस्थान टिनेन्सी रूल्स के नियम 18 से 21 की पालना ना कर एक तरफ मनमाने रूप से कुरेजात बनाकर

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

के भेज दिये व विचारण न्यायालय ने भी इस तरफ गौर ना कर दावा डिक्री करने में कानूनी गलती की है। अपीलान्ट ने जमीन जैर बहस में सुधार हेतु ऋण लेने के लिये पटवारी हल्का से जमाबन्दी की नकल मांगी तो पटवारी ने अपीलान्ट को दिनांक 18.06.2015 को बताया कि जमीन जैर बहस का खाता अलग हो गया है तो इस बाबत पटवारी हल्का से बात की तो पटवारी हल्का ने खाता विभाजन के बाबत पुरी बाते बतलाई तो अपीलान्टस ने इस बाबत अदालत हाजा के आदेश की नकल की दरख्वास्त दिनांक 19.06.2015 को लगाई जो नकल तैयार होकर दिनांक 22.06.2015 को मिली व नकल मिलने पर कानूनी कार्यवाही हेतु वकील नियुक्त किया व अपील तैयार करवाकर आज पेश की जा रही है। अगर अपील को अन्दर मियाद ना मानी जावे तो दफा 5 मियाद अधिनियम को फायदा दिया जाकर के अपील को अन्दर मियाद माना जावें। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत नहीं है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में वादी रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ने एक वाद घोषणार्थ व बंटवारा बाबत भूमि खसरा नंबर 105, 106, 140, 141, 193, 405, 406, 407, 414, 415 वाके ग्राम बीबासर का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्राथमिक व अंतिम डिक्री जारी कर दी। विचारण न्यायालय में वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से घोषणा व बंटवारा का वाद कुल 6 प्रतिवादीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया था। इस वाद में प्रतिवादी संख्या 6 नौरंग पक्षकार है। प्रस्तुत दोनों अपीलें नौरंग की पत्नी एवं पुत्र की ओर से प्राथमिक डिक्री दिनांक 26.10.2005 के विरूद्ध 10 साल के असाधारण विलम्ब से दिनांक 24.06.2015 को एवं अंतिम डिक्री दिनांक 29.04.2008 के विरूद्ध दिनांक 24.06.2015 को 7 साल के असाधारण विलम्ब से प्रस्तुत की गई है। शेष प्रतिवादीगण ने विचाराधीन निर्णय को चुनौती नहीं दी गई है। विचारण न्यायालय की आदेशिका दिनांक 22.01.1996 पर प्रतिवादी संख्या 6 नौरंग ने उपस्थित होकर हस्ताक्षर किये है। इसके उपरांत दिनांक 16.12.1998 को प्रतिवादी संख्या 6 के अनुपस्थित रहने एवं उनके अधिवक्ता

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनू)

के अनुपस्थित रहने पर विधि अनुसार एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई है। प्रतिवादी संख्या 6 नौरंग की मृत्यु विचारण न्यायालय द्वारा एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित करने की दिनांक 16.12.1998 से पूर्व होने का कोई साक्ष्य अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। विचारण न्यायालय के एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश को प्रतिवादी संख्या 6 द्वारा कभी भी चुनौती नहीं दी गई है। अपील प्रस्तुत करने में हुए असाधारण विलम्ब के संदर्भ में अपीलांट द्वारा दिन प्रतिदिन का युक्तिसंगत कारण भी अंकित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट मियाद एवं गुणावगुण दोनों पर किसी प्रकार की सहायता प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में वादी रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ने एक वाद घोषणार्थ व बंटवारा बाबत भूमि खसरा नंबर 105, 106, 140, 141, 193, 405, 406, 407, 414, 415 वाके ग्राम बीबासर का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्राथमिक व अंतिम डिकी जारी कर दी।

विचारण न्यायालय में वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से घोषणा व बंटवारा का वाद कुल 6 प्रतिवादीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया था। इस वाद में प्रतिवादी संख्या 6 नौरंग पक्षकार है। प्रस्तुत दोनों अपीलें नौरंग की पत्नी एवं पुत्र की ओर से प्राथमिक डिकी दिनांक 26.10.2005 के विरूद्ध 10 साल के असाधारण विलम्ब से दिनांक 24.06.2015 को एवं अंतिम डिकी दिनांक 29.04.2008 के विरूद्ध दिनांक 24.06.2015 को 7 साल के असाधारण विलम्ब से प्रस्तुत की गई है। शेष प्रतिवादीगण ने विचाराधीन निर्णय को चुनौती नहीं दी गई है।

विचारण न्यायालय की आदेशिका दिनांक 22.01.1996 पर प्रतिवादी संख्या 6 नौरंग ने उपस्थित होकर हस्ताक्षर किये है। इसके उपरांत दिनांक 16.12.1998 को प्रतिवादी संख्या 6 के अनुपस्थित रहने एवं उनके अधिवक्ता

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

के अनुपस्थित रहने पर विधि अनुसार एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई है। प्रतिवादी संख्या 6 नौरंग की मृत्यु विचारण न्यायालय द्वारा एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित करने की दिनांक 16.12.1998 से पूर्व होने का कोई साक्ष्य अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। विचारण न्यायालय के एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश को प्रतिवादी संख्या 6 द्वारा कभी भी चुनौती नहीं दी गई है।

अपील प्रस्तुत करने में हुए असाधारण विलम्ब के संदर्भ में अपीलांट द्वारा दिन प्रतिदिन का युक्तिसंगत कारण भी अंकित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट मियाद एवं गुणावगुण दोनों पर किसी प्रकार की सहायता प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। हम इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट मियाद एवं गुणावगुण दोनों पर खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 18/11/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर